न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूँगरपुर

नाम पीठासीन अधिकारी – श्री राजीव द्विवेदी आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

प्रकरण संख्या– 3/2016(राजस्व वाद)

दायर दिनांक– 1.3.2016

फैसल दिनांक– 25/2/19

अनवान

1– डायालाल पिता धुलजी पाटीदार निवासी उदैया
2– दिनेश पिता डायालाल पाटीदार निवासी उदैया

(वादीगण)

बनाम

1– श्री भोगजी पिता नाथू पाटीदार निवासी उदैया
2– भूमिधारी तहसीलदार गलियाकोट

(प्रतिवादीगण)

नाम पीठासीन अधिकारी – श्री राजीव द्विवेदी आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी

वकील वादीगण– श्री चन्द्रप्रकाश गांधी

वकील प्रतिवादी – श्री मयंक दोसी

प्रकरण संख्या–

दावा बाबत धारा 88,188 एवं 209 आर0टी0ए0 एवं धारा 136 आरएलआर एक्ट

निर्णय

वादवादी का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी नम्बर 1 एवं वादी नम्बर 2 आपस में पिता पुत्र है तथा वादी नंबर 2 दिनेश अपनी आजिविका हेंतु कुवैत में रहता है । उसकी अनुपस्थिति में वादी नम्बर 2 की आराजीयात एवं अन्य सम्पत्ति की देखरेख वादीनम्बर 1 ही करता है इसलिए वाद पत्र वादी नं0 1 के द्वारा पेश किया गया है । यह कि मौजा उदैया के खाता संख्या 15 की आराजी नम्बर 82 रकबा 5 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 83 रकबा 5 बिस्वा भूमि श्रीमती गंगा बेवा कुरिया पाटीदार एवं श्री जीवा पिता कोईया पाटीदार निवासी उदैया के खाते में दर्ज रेकार्ड थी उक्त दोनो खेतों को वादी नं0 1 को बेचान करना तय किया । श्रीमती गंगा बेवा कुरिया पाटीदार एंव श्री जीवा पिता कोईया पाटीदार निवासी उदैया ने दिनांक 21.7.1992 को वादी नं0 1 के पुत्र वादी नं0 2 के नाम खाता संख्या 15 कीआराजी नम्बर 82 रकबा 5 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 83 रकबा 5 बिस्वा भूमि का दस्तावेज बेचाननामा तहरीर कर तहसील सागवाडा से पंजियन कराया है । यह कि श्रीमती गंगा एवं श्री जीवा ने दिनांक 21.7.1992 को खसरानम्बर 82 एवं 83 का मौके पर कब्जा वादीगण को सुपुर्द कर दिया । तबसे लगाकर आज तक बदस्तुर बिना रोक

यह कि मौजा उदैया के खाता संख्या 15 का आराजी नम्बर

Scanned by CamScanner

टोक एवं बिना विवाद के कब्जा चला आ रहा है ।यह कि वादीगण ने दस्तावेज बेचाननामा के आधार पर राजस्व रेकार्ड में खसरानम्बर 82 एंव 83 की भूमि का नामान्तरकरण पटवारी द्वारा खोला जाकर 2.4.1993 को पंचायत द्वारा प्रमाणित किया गया है जिसके आधार पर राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम दर्ज हुआ है ।

यह कि वादीगण केआराजीयात नंबर 77,78,80,81,82,83,85,86,एवं 89 एक चक में है और वादीगण द्वारा खरीदी आराजी नंबर 82 व 83 भी इसी चक में शामील है ।खसरानम्बर 82 व 83 में आने जाने के लिए वादीगण की अन्य आराजीयात से गुजरना पडता है ।

यह कि प्रतिवादी नम्बर 1 भोगजी खसरानम्बर 82 को लेकर वादीगण से विवाद करता है और कहा कि उक्त आराजी मेरी है तथा मेरे खाते में है इसलिए खसरा नम्बर 82 पर अपना कब्जा काश्त छोड देवे । यह कि प्रतिवादी भोगजी के बार बार धमकीयां देने से वादीगण ने राजस्व रेकार्ड से खसरानम्बर 82 व 83 की जमाबन्दी प्राप्त करने से पता लगा कि राजस्व रेकार्ड में खसरानम्बर 82 प्रतिवादी नं0 1 व के नाम खाते दर्ज की है जिस पर वादीगण ने प्रतिवादी भोगजी के नाम का दस्तावेज बेचाननामा की नकल प्राप्त की । दस्तावेज बेचाननामा में खसरानम्बर 82 रकबा 5 बिस्वा भूमि श्रीमती गंगा बेवा कुरिया पाटीदार एंव श्री जीवा पिता कोईया पाटीदार निवासी उदैया के संयुक्त खाते की भूमि होकर प्रतिवादी भोगजी के दस्तावेज बेचाननामा में खातेदार जीवा पिता कोईया पाटीदार निवासी उदैया का नाम श्रीमती गंगा बेवा कुरिया पाटीदार निवासी उदैया के साथ अंकन किया हुआ है परन्तु दस्तावेज बेचाननामा में खातेदार जीवा पिता कोईया पाटीदार निवासी उदैया के हस्ताक्षर नही है उसके द्वारा बेचान सम्पादित नही किया है । और बेचाननामा के पेज नं0 1 पुष्ट पर जीवा पिता कोईया पाटीदार निवासी उदैया ने अपने हस्ताक्षर करने से मना कर देने का अंकन किया गया है । उक्त दस्तावेज पर श्रीमती गंगा के अंगूठा निशानी है । श्रीमती गंगा खसरानम्बर 82 के 5 बिस्वा भूमि के आधे हिस्से की मालिक होने से श्रीमती गंगा ने अपने आधे हिस्से को ही बेचान किया यह प्रतिवादी भोगजी के दस्तावेज से स्पष्ट हो रहा है । प्रतिवादी भोगजी ने उक्त खरीदने के बाद अपने नाम दर्ज करने की कोई कार्यवाही नही करने से खसरा नम्बर 82 व 83 श्रीमती गंगा बेवा कुरिया पाटीदार एंव जीवा पिता कोईया पाटीदार निवासी उदैया के संयुक्त खाते राजस्व रेकार्ड में दर्ज रही । संयुक्त खाते

Scanned by CamScanner

की दोनो आराजीयात की भूमि को भोगजी को बेचान नही कर संयुक्त खातेदार ने वादी नं0 2 दिनेश को बेचान किया है इसलिए पूर्व के दस्तावेज किये जाने की संयुक्त खातेदार को पता ही नही है और न ही बेचान की जानकारी है इससे साफ प्रतित होता है कि प्रतिवादी नं0 1 भोगजी का दस्तावेज फर्जी बना है । यह कि प्रतिवादी नं0 1 ने फर्जी कार्यवाही कर खसरानम्बर 82 अपने खाते दर्ज करवाई है ।खाता संख्या 15 के खसरा नम्बर 82 रकबा 5 बिस्वा एंव खसरानम्बर 83 रकबा 5 बिस्वा के खातेदार श्रीमती गंगा बेवा कुरिया एंव जीवा पिता कुरिया पाटीदार निवासी उदैया है । प्रतिवादी नं0 1 ने खसरा नंबर 82 को श्रीमती गंगा बेवा कुरिया से खरीदी और दस्तावेज में गंगा के साथ जीवा पिता कोईया का नाम लिखा मगर जीवा ने बेचाननामे पर हस्ताक्षर भी नही किए है और अपना हिस्सा बेचान ही नही किया है । खसरा नम्बर 82 रकबा 5 बिस्वा के आधे हिस्से ढाई बिस्वा भूमि का मालिव व स्वामी जीवा पिता कोईया है ।

यह कि प्रतिवादी नम्बर 1 अपने खाते खसरानम्बर 82 रकबा 5 बिस्वा दर्ज तो करा लिया परन्तु मौके पर 1992 से वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है ।वादीगण के कब्जे से किसी ने आज तक बेदखल नहीं किया और न ही कब्जा वादीगण से प्रतिवादी नंबर 1 ने प्राप्त किया ।प्रतिवादी नं0 1 की जानकारी में है कि खसरा नम्बर 82 रकबा 5 बिस्वा पर दिनांक 21.7.1992 से वादीगणका कब्जा काश्त चला आ रहा है वादीगण का कब्जा चिरकालिन होकर वादीगण का कब्जा परिपक्व हो चुका है इसलिए वादीगण खसरानम्बर 82 रकबा 5 बिस्वा अपने नाम घोषित कराने का पूर्ण अधिकारी है ।

वादीगण द्वारा वाद के अन्त में खसरानम्बर 82 रकबा 5 बिस्वा मौजा उदैया की भूमि को वादी नं0 1 ने अपने पूत्र वादी नं0 2 के नाम दिनरांक 21.7.1992 को श्रीमती गूंगा एंव जीवा से खरीद कर विक्रय पत्र संपादित कराया है तबसे आज तक वादीगण का स्वामित्व आधिपत्य एवं कब्जा काश्त की भूमि पर वादीगण को खेती करने से प्रतिवादी नं0 1 किसी प्रकार की रूकावट पैदा नही करे इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने , खसरानम्बर 82 रकबा 5 बिस्वा भूमि को प्रतिवादी नं01 ने फर्जी तरीके से अपने खाते दर्ज करा ली है उक्त कार्यवाही से वादीगण बाधित नही है प्रतिवादी नं0 1 के खाते से खसरा नम्बर 82 रकबा 5 बिस्वा हटाकर वादी नं0 2 के नाम पुनः दर्ज कराने हेतु राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरस्ती करने ,एंव

Scanned by CamScanner

आराजी नम्बर 82 रकबा 5 बिस्वा वादीगण की घोषित किए जाने का निवेदन किया गया है ।

वादीगण की ओर से वाद की पुष्टि में शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए दस्तावेज विकय पत्र ,नामान्तरकरण संख्या 121 ,जमाबन्दी की नकल ,पास बुक की नकल प्रस्तुत की गई है ।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जवाब प्रस्तुत करने सम्मन जारी किए गए ।

वकील प्रतिवादी की ओर से दौराने कार्यवाही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 सपठित धारा 151 जा.फौ. का प्रस्तुत किया जिसमें उल्लेख किया गया है कि पूर्व में श्री दिनेश वगेरा ने प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध न्यायालय में एक प्रकरण संख्या 106/99,49/95 प्रस्तुत किया था जिसमें दिनांक 29.12.2000को न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया था जिसे माननीय राजस्व अपील अधिकारी डूँगरपुर के द्वारा बहाल रखा गया है ।इसी बात को लेकर पुनः उन्ही पक्षकारों के मध्य में फिर से उसी विषय वस्तु पर वाद नही चल सकता है तथा इस वाद पर रेसज्यूडिकेटा का सिद्धान्त लागू होता है जिससे वाद सव्यय निरस्त करने निवेदन किया गया है ।

वकील प्रतिवादी के उक्त प्रार्थना पत्र की नकल वकील वादी को दी जाकर जवाब लिया गया ।

वकील वादी ने दिनांक 4.1.2017 को जवाब मय दस्तावेजात की नकलों के साथ प्रस्तुत किया ।जवाब में इस प्रकार का कोई मुकद्मा पूर्व में प्रस्तुत होकर दिनांक 29.12.2000 को निर्णित हुआ हो और राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा निर्णय को बहाल रखा हो वादीगण की जानकारी में नही होना ,प्रतिवादी नं0 1 द्वारा इस प्रार्थना पत्र के साथ कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया है । प्रतिवादी नं. 1 अगर कोई वजह रखते हों तो अपना जवाब पेश करे ।उसका वादीगण द्वारा खण्डन किया जाकर न्यायालय द्वारा तनकीयात निर्धारित कर तय किया जा सकता है कि पूर्व मे दावा निर्णित होने से यह वाद पत्र चलने योग्य है । मात्र एक प्रार्थना पत्र के आधार से किसी भी नतिजे पर बिना आधार के तय नहीं किया जा सकता है ।प्रतिवादी नं0 1 के द्वारा बिना वादीगण के अपना मुकदमा न्यायालय से तय

Scanned by CamScanner

करा लिया है तो उसके सबूत पेश करने पर ही तो जवाब दिया जा सकता है । जवाब में वादी की ओर से यह भी बताया गया है कि इस प्रकरण में किसी प्रकार का रेसज्यूडिकेटा लागू नही होता है । पूर्व के प्रकरण के सबुत पेश करने पर ही ज्ञात किया जा सकेगा कि उसमें क्या निर्णय हुआ ,वादीगण से सुनवाई नही करने की कोई वजह रही होगी ।वादीगण की तलबी क्यों नही हुई ?अगर तलबी मान ली जाय तो पैरवी करने का अधिकार क्यों नही दिया गया ओर पैरवी करने का अधिकार दिया गया तो वादीगण की ओर से पैरवी हेतु नियुक्त अधिवक्ता का वकील पत्र एंव जवाब दिया जाना सम्भव था परन्तु वादीगण को कोई तलबी नही हुई है और न ही वादीगण ने अपनी तरफ से अधिवक्ता को नियुक्त किया है फिर उसका निर्णय किया जाना एक शंकास्पद है अतः दस्तावेज के अभाव में प्रतिवादी नं0 1 का प्रार्थना पत्र खारीज किया जाने का निवेदन किया है ।

प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र में उल्लेखित वाद संख्या 106/99,49/95 अनवान भोगजी पिता नाथुज़ी पाटीदार बनाम मानजी पिता जीवा वगैरा फैसल दिनांक 29.12.2000 की मूल प्रकरण की पत्रावली न्यायालय से तलब की गई ।

वकील प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र बाबत रेसज्यूडिकेटा का सिद्धान्त लागू होने से प्रकरण निरस्त किया जाने का होने से इस प्रार्थना पत्र पर वकील पक्षकारान की बहस सूनी गई ।

विद्वान अभिभाषक वादी द्वारा अपनी बहस में पूर्व में श्री दिनेश वगेरा ने प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध न्यायालय में एक प्रकरण संख्या 106/99,49/95 प्रस्तुत किया था जिसमें दिनांक 29.12.2000को न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया था जिसे माननीय राजस्व अपील अधिकारी डूँगरपुर के द्वारा बहाल रखा गया है ।इसी बात को लेकर पुनः उन्ही पक्षकारों के मध्य में फिर से उसी विषय वस्तु पर वाद नही चल सकता है, तथा इस वाद पर रेसज्यूडिकेटा का सिद्धान्त लागू होता है जिससे वाद सव्यय निरस्त करने निवेदन किया गया है ।

विद्वान अभिभाषक वादी की ओंर से प्रार्थनापत्र की बहस में बताया कि इस प्रकार का कोई मुकद्मा पूर्व में प्रस्तुत होकर दिनांक 29.12.2000 को निर्णित हुआ हो और राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा निर्णय को बहाल रखा हो वादीगण की जानकारी में नही होना , प्रतिवादी नं0 1 द्वारा इस प्रार्थना पत्र के साथ कोई

Scanned by CamScanner

दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया है । प्रतिवादी नं. 1 अपनी कोई वजह रखते हों तो अपना जवाब पेश करे ।उसका वादीगण द्धारा खण्डन किया जाकर न्यायालय द्धारा तनकीयात निर्धारित कर तय किया जा सकता है कि पूर्व मे दावा निर्णित होने से यह वाद पत्र चलने योग्य है । मात्र एक प्रार्थना पत्र के आधार से किसी भी नतिजे पर बिना आधार के तय नही किया जा सकता है । प्रतिवादी नं0 1 के द्धारा बिना वादीगण के अपना मुकदमा न्यायालय से तय करा लिया है तो उसके सबूत पेश करने पर ही तो जवाब दिया जा सकता है । जवाब में वादी की ओर से यह भी बताया गया है कि इस प्रकरण में किसी प्रकार का रेसज्यूडिकेटा लागू नही होता है । पूर्व के प्रकरण के सबुत पेश करने पर ही ज्ञात किया जा सकेगा कि उसमें क्या निर्णय हुआ ,वादीगण से सुनवाई नही करने की कोई वजह रही होगी ।वादीगण की तलबी क्यों नही हुई ?अगर तलबी मान ली जाय तो पैरवी करने का अधिकार क्यों नही दिया गया और पैरवी करने का अधिकार दिया गया तो वादीगण की ओर से पैरवी हेतु नियुक्त अधिवक्ता का वकील पत्र एंव जवाब दिया जाना सम्भव था परन्तु वादीगण को कोई तलबी नही हुई है और न ही वादीगण ने अपनी तरफ से अधिवक्ता को नियुक्त किया है फिर उसका निर्णय किया जाना एक शंकास्पद है अतः दस्तावेज के अभाव में प्रतिवादी नं0 1 का प्रांर्थना पत्र खारीज किया जाने का निवेदन किया है ।

हमने प्रकरण की पत्रावली एवं तलबी शुदा प्रकरण संख्या 106/99,49/95 निर्णय दिनांक 29.12.2000 का अवलोकन किया तथा वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया ।

प्रकरण संख्या 106/99,49/95 अनवान भोगजी पिता नाथूजी पाटीदार निवासी उदेया बनाम श्रीमानजी पिता जीवाजी (दत्तक पुत्र कुरियाजी) वगैरा बाबत मौजा उदैया में स्थित खसरानम्बर 82 का विक्रय पत्र दिनांक 21.7.92 वादी के विरूद्ध प्रभावहीन व शून्य घोषित करने और इसका खातेदार काश्तकार वादी को घोषित करने एवं स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने अन्तर्गत धारा 88,188 का दिनांक 2.6.1995 को प्रस्तुतकिया गया ।वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर जवाब ,साक्ष्य वादी प्रतिवादी उपरान्त दिनांक 19.2.1999 को वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री जाने जाने आदेश दिये गये ।प्रतिवादी के द्धारा उक्त निर्णय से असन्तुष्ट होकर माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी में अपील प्रस्तुत की

Scanned by CamScanner

गई ।राजस्व अपील अधिकारी न्यायालय के निर्णय दिनांक 8.9.1999 के द्वारा निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा का निरस्त कर पत्रावली मावजी पिता जीवा दत्तक पुत्र कुरिया के बयान कलमबद्ध किया जाकर निर्णय पारित किए जाने के निर्देश के साथ रिमाण्ड की गई ।

प्रकरण रिमाण्ड होने पर न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी के निर्देशानुसार मावजी पिता जीवा दत्तक पुत्र कुरिया के बयान लिए जाकर निर्णय दिनांक 29.12.2000 बाबत वादी को आराजी नम्बर 82 रकबा 0.05बिस्वा मौजा उदैया का खातेदार घोषित करने एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने का पारित किया गया है । इस निर्णय की अपील प्रतिवादीगण द्वारा माननीय न्यायायालय राजस्व अपील अधिकारी में प्रस्तुत करने पर निर्णय दिनांक 26.3.2002 द्वारा अपील अपीलाण्ट खारीज की जाकर उिपखण्ड अधिकारी न्यायालय का निर्णय दिनांक 29.12.2002 बहाल रखा गया है ।

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि पूर्व प्रकरण 106/99,49/95 में अनवान,विषय वस्तु,आराजीयात एवं समान है ।

अतः प्रकरण में रेसज्यूडिकेटा का सिद्धान्त लागू होने से प्रार्थना पत्र वकील प्रतिवादी स्वीकार किया जाता है । वकील प्रतिवादी का उक्त प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाने से वाद को आगे चलाने का कोई औचित्य नही है । अतः वाद वादी रेस ज्यूडिकेटा का सिद्धान्त लागू होने से खारीज किया जाता है । डिकी पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25/2/15 को खूले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार हो । नम्बर से कम हो ।

(राजीव द्विवेदी)
उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

Scanned by CamScanner

डिगरी व मुकद्में इब्तदाई

(आ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम सागवाडा

बईजलास श्री राजीव द्विवेदी आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

डायालाल /धुलजी पाटीदार बनाम भोंगजी पिता नाथू पाटीदार

वगैरा उदैया वगैरा उदैया

वगैरा गडाजसराजपुर

वाद बाबत धारा ,88,188,209राज0टि0एक्ट बाबत एंव 136 आरएलआर एक्ट

मुकद्मा नंबर 3/2016

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रूबरू राजीव द्विवेदी आर0ए0एस0 मिनजजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वाद वादी रेसज्यूडिकेटा का सिद्धान्त लागू होने से खारीज किया जाता है ।

नीज.....मुबलिग..... बाबत .....

..

खर्चा इस मुकद्में के मय सूद व शहर .....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख उपखण्ड अधिकारी मुकाम सागवाडा

वसूलयाबी तक ..... का अदा करें ।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 25 मास 02 सन् 2019 को जारी की गई ।

(राजीव द्विवेदी)
उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

मुद्धई	रूपया	पै0	मुद्धायला	रूपया	पै0
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सैंबूत खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत ईजराय हुक्मनामा मुतफरिक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत ईजराय हुक्मनामा मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

Scanned by CamScanner